

No. J-25/1/2024-CPU
Government of India
Department of Consumer Affairs
Central Consumer Protection Authority

Sub: Filling up of posts in the Central Consumer Protection Authority(HQ), New Delhi on deputation basis

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) invites applications for filling up of various posts as mentioned below on deputation basis. The details of the posts along with eligibility criteria, educational qualification/experience etc. required for each category of the post are given in the enclosed **Annexures**.

S. No.	Name of Post	No. of Posts (Level as per 7 th CPC)
1.	Joint Director(Legal)	1 post (Level-12)
2.	Assistant Commissioner	2 post (Level-10)
3.	Account Officer	1 Post (Level-8)
4.	Private Secretary	1 Post (Level-7)
5.	Assistant	3 Post (Level-6)
6.	Stenographer Grade-I	2 Post (Level-6)
7.	Legal Assistant	1 Post (Level-6)

2. The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years which may be extended for another two years subject to the maximum period of five years depending upon availability of the post and work requirements. The maximum age limit for appointment on deputation basis (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications by CCPA.

3. The prescribed eligibility conditions (as per **Annexure**) should be fulfilled by the applicants as on the closing date and time prescribed for receipt of applications in CCPA.

4. Apart from basic pay, the post carries DA, HRA and Transport Allowance etc. as per the rates applicable to the Central Government employees from time to time. The fixation of pay/deputation (duty) allowance shall be governed by instructions issued by DOP&T from time to time.

5. The applicants are advised to fill the **ONLINE** application form (<https://jagagrahakjago.gov.in/ccpa/>) carefully in accordance with the eligibility criteria and experience mentioned for the post(s). Applications received through any other mode/procedure would not be accepted and summarily rejected. Applications incomplete in any respect, especially

without details of pay scales shall be summarily rejected without any notice. It may be noted that any subsequent clarification regarding job profile / experience etc. at a later date will not be entertained under any circumstances. **The last date for filling up the online Application will be 21st September, 2026 (5:00 PM)**

6. The applicants are advised to submit the Online Recruitment Application well in advance without waiting for the closing date and also ensure that the Print-Out of the ONLINE Application Form along with requisite documents, is forwarded through their Parent Departments within the stipulated time.

7. Duly filled-in print-out of the ONLINE application, forwarded by parent department of the applicant along with the prescribed 'Verification Certificate' and together with all necessary documents i.e. Cadre Clearance, Vigilance Clearance, Integrity Certificate, along with attested copies of upto-to-date APARs of last five years, should reach CCPA at the following address, on or before **30th September, 2026 :**

**The Commissioner,
Central Consumer Protection Authority
Room No. 365, Krishi Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi, 110001.**

8. It is clarified that any form of conditional forwarding from the employer or applications received without the prescribed documents and Certificate from the Employer shall be summarily rejected. Applications which are received after the prescribed date and time i.e. **21st September, 2026 (5:00 P.M.)** will also be rejected.

9. Those who are in employment with State/Central Govt. /PSU/Autonomous Bodies must submit a **"NO OBJECTION CERTIFICATE"** from the employer at the time of verification of documents/at the time of interview, wherever applicable. Failure to submit the NOC will lead to cancellation of candidature.

10. The Authority takes no responsibility for any delay in receipt of application or loss thereof in postal transit. Therefore, the applicants must ensure that their online complete application, complete in all respects, should reach CCPA through proper channel by the last date and time prescribed for receipt of applications.

11. Canvassing in any form will disqualify the candidate.

12. No TA/DA shall be payable in case a candidate is called for an interaction with the Selection Committee constituted for the post.

13. The Authority reserves the right not to fill any or all the above vacancies. The advertisement can be withdrawn at any time at the discretion of the Competent Authority without assigning any reasons therefore.


(K. Mahendran)
Under Secretary
On behalf of CCPA

ANNEXURE

Qualification for Deputation

S. No.	Name of Post & Stream, Pay scale/Pay level	Qualification Requirements
1.	Joint Director (Legal) Level-12 (Rs.78800-209200).	Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Legal Service or Indian Company Law Service or autonomous body or statutory organisation or regulatory authorities or recognised Universities or academic or recognised research institutes or Judicial Institutions : a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of five years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11(Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. (i) possessing a Bachelor's degree in law from a recognised University; and (ii) having experience in the relevant field of Law including in Consumer Law. Desirable: Higher qualification and experience shall be given preference.
2.	Assistant Commissioner Level-10 (Rs.56100-177500).	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, - a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of two years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9(Rs.53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with a minimum of four years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing a Bachelor's degree from a recognised University.
3.	Accounts Officer	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -

	Level-8 (Rs.47600-151100).	a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of two years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7(Rs.44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with a minimum of six years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6(Rs.35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre; and b. (i) Member of the Institute of Chartered Accountant of India or of the Institute of Cost Accountants of India or Master of Business Administration; or (ii) having passed SAS or equivalent examination of organised Accounts cadre of Central Government or State Government; or (iii) having successfully completed cash and accounts Training organised by Institute of Secretariat Training and Management; or (iv) having at least five years' experience in handling accounts related work. Desirable: Basic skills for working in a computerised office environment
4.	Private Secretary Level-7 (Rs.44900-142400).	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, - a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of five years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following qualifications: i. Bachelor's degree from a recognised university or equivalent; ii. skill in stenography and typing; and iii. working knowledge of computer. Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.

5.	Assistant Level-6 (Rs.35400-112400).	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, - a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of six years of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with a minimum of ten years' of regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4(Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following qualifications: i. Bachelor's degree from a recognised university or equivalent; ii. skill in typing; and iii. working knowledge of computer.
6.	Legal Assistant Level-6 (Rs.35400-112400).	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, - a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-5(Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following qualifications and experience, namely :- i. Bachelor's degree in law from a recognised university; and ii. with three years' experience in the relevant field (Law), including in Consumer Law. Desirable: i. working experience in dealing with regulatory authority or statutory bodies or other Government Institutions; ii. working knowledge of computer and skill in typing.
7.	Stenographer Grade-I	Essential: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings, -

Level-6 (Rs.35400-112400).	a. (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with a minimum of six years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; (iii) with a minimum of ten years of regular service, in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b. possessing the following qualifications: i. Bachelor's degree from a recognised university; ii. skill in stenography and typing; and iii. working knowledge of computer Desirable: Higher qualification and experience shall be given preference.

सं. जे-25/1/2024-सीपीयू
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

विषय: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण(मुख्यालय), नई दिल्ली में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नीचे उल्लिखित विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पदों का विवरण, साथ ही प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए आवश्यक योग्यता के मानदंड, शैक्षणिक अहर्ता/अनुभव आदि संलग्न अनुलग्नक में दिए गए हैं।

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या (7वें सीपीसी के अनुसार स्तर)
1.	संयुक्त निदेशक(विधिक)	1 पद (स्तर-12)
2.	सहायक आयुक्त	2 पद (स्तर -10)
3.	लेखा अधिकारी	1 पद (स्तर -8)
4.	निजी सचिव	1 पद (स्तर -7)
5.	सहायक	3 पद (स्तर -6)
6.	आशुलिपिक श्रेणी-I	2 पद (स्तर -6)
7.	विधिक सहायक	1 पद (स्तर -6)

2. इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी अन्य 'एक्स-कैडर' पद पर बिताई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है) सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद की उपलब्धता और कार्य की आवश्यकताओं के आधार इसे अधिकतम पाँच वर्ष की कुल अवधि तक के लिए दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सीसीपीए को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. सीसीपीए में आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक, आवेदकों को (अनुलग्नक के अनुसार) निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

4. मूल वेतन के अलावा, इस पद पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर लागू दरों के अनुसार डीए, एचआरए और परिवहन भत्ता आदि देय हैं। वेतन निर्धारण/प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते का नियमन डीओपीएंडटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5. आवेदकों से अनुरोध है कि वे पद (दों) के लिए निर्धारित पात्रता और अनुभव के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र (<https://jagograhakjago.gov.in/ccpa/>) को सावधानीपूर्वक भरें। किसी अन्य माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों, विशेष रूप से वेतनमान की जानकारी के बिना, को बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बाद में जॉब प्रोफाइल/अनुभव आदि के संबंध में दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे) है।

6. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन भर्ती आवेदन समय से पहले जमा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट-आउट आवश्यक दस्तावेजों के साथ उनके मूल विभाग के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर भेज दिया जाए।

7. आवेदक के मूल विभाग द्वारा अग्रेषित ऑनलाइन आवेदन का विधिवत भरा हुआ प्रिंट-आउट, निर्धारित 'सत्यापन प्रमाण-पत्र' और सभी आवश्यक दस्तावेजों (जैसे- कैडर क्लीयरेंस, विजिलेंस क्लीयरेंस, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र) के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों की अद्यतन एपीएआर की सत्यापित प्रतियों के साथ, 30 सितंबर, 2026 को या उससे पहले निम्नलिखित पते पर सीसीपी को प्राप्त हो जाना चाहिए:

आयुक्त,
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
कमरा नंबर 365, कृषि भवन,
डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ता की ओर से किसी भी प्रकार की सशर्त अग्रेषण या बिना आवश्यक दस्तावेजों और नियोक्ता के प्रमाण-पत्र के प्राप्त आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय, अर्थात् 21 सितंबर, 2026 (शाम 5:00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. राज्य/केंद्र सरकार/पीएसयू/स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के समय, जहाँ भी लागू हो, अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. प्राधिकरण, आवेदन मिलने में होने वाली किसी भी देरी या डाक से भेजे जाने के दौरान उसके खो जाने के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। अतः आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका ऑनलाइन आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, निर्धारित अंतिम तिथि और समय तक उचित माध्यम से सीसीपीए को प्राप्त हो जाए।

11. किसी भी तरह से प्रचार करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

12. पद के लिए गठित चयन समिति के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।

13. प्राधिकरण के पास उपरोक्त किसी भी या सभी रिक्तियों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

के. महेन्द्रन

(के. महेन्द्रन)

अवर सचिव

सीसीपीए के प्रतिनिधि के रूप में

प्रतिनियुक्ति के लिए अहर्ताएं

क्रम सं.	पद का नाम एवं स्टीम, वेतनमान/वेतन स्तर	आवश्यक अहर्ता
1.	संयुक्त निदेशक (विधिक) स्तर-12 (रु. 78800-209200)	आवश्यक: अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या नियामक प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों के अधिकारी: क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या (ii) और मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (रु. 67700-208700) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; तथा ख. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री; और (ii) विधि के संबंधित क्षेत्र में अनुभव, जिसमें उपभोक्ता कानून भी शामिल है। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
2.	सहायक आयुक्त स्तर-10 (रु. 56100-177500).	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करना; या; (ii) मूल कैडर या विभाग में स्तर-9 (रु.53,100-1,67,800) के वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47600-151100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा; तथा ख. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना।
3.	लेखा अधिकारी	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय

स्तर -8 (रु. 47600-151100)	या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - a. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (रु. 44900-142400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा; या (iii) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु. 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और b. (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का सदस्य या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन; या (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संगठित लेखा संवर्ग की एसएस या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा आयोजित नकद और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या (iv) लेखा संबंधी कार्य को संभालने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय: कम्प्यूटरीकृत कार्यालय के वातावरण में काम करने के लिए बुनियादी कौशल
4. निजी सचिव स्तर -7 (रु. 44900-142400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु. 35400-112400) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष; ii. आशुलिपि और टंकण में कौशल; और iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.	सहायक स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 4(रु. 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष; ii. टंकण में कौशल; और i. iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
6.	विधिक सहायक स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - i. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; और ii. निम्नलिखित योग्यता और अनुभव होना चाहिए :- iii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री; और ii. संबंधित क्षेत्र (कानून) में तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें उपभोक्ता कानून का अनुभव शामिल हो। वांछनीय:

		i. नियामक प्राधिकरण, वैधानिक निकायों या अन्य सरकारी संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव; ii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान और टंकण कौशल।
7.	आशुलिपिक ग्रेड-I स्तर -6 (रु. 35400-112400)	आवश्यक: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्वायत्त निकाय या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी - क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-5 (रु. 29200-92300) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम छह वर्ष की नियमित सेवा; (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 4(रु. 25500-81100) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में न्यूनतम दस वर्ष की नियमित सेवा; और ख. निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; ii. आशुलिपि और टंकण में कौशल; और iii. कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। वांछनीय: उच्च योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110 124



No. 79/-Staff (App)-I/01-2026/Vol.II

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
9, DEENDAYAL UPADHYAYA MARG,
NEW DELHI - 110 124

03.09.2026
दिनांक / DATE _____

To

1. All the Heads of Department in IA&AD
2. Principal Director (Commercial)-I
3. Director (P)

Subject: Filling up of the posts in the Central Consumer Protection Authority(HQ), New Delhi on deputation basis -reg.

Sir / Madam,

I am directed to forward the vacancy circular issued by Central Consumer Protection Authority(HQ), New Delhi for filling up the various posts in CCPA HQ, New Delhi on deputation basis (*copy enclosed*) for information and necessary action at your end, in accordance with the extant deputation guidelines.

2. In case of selection, the candidate will not be allowed to withdraw the application. In case of withdrawal of willingness after selection, the candidate will be debarred from applying to the deputation for 03 years from the date of communication of the selection by the borrowing department.

Yours faithfully,

Encls:-As above

Ajit K.
(Ajit Kumar)

Sr. Administrative Officer (Staff App-I)